## The Gazette of India

**EXTRAORDINARY** 

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

KM-30 CPB-220

355] No. 355]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 20, 2004/श्रावण 29, 1926

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 20, 2004/SRAVANA 29, 1926

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ) अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2004

सा:का.नि. 530(अ).—जबिक भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) ने अपनी दिनांक 21 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 59(अ)(जिसे इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा केन्द्र सरकार ने नाइट्रो-ि त्या अथवा ऐसे अन्य पदार्थ का चाहे वह अकेला रसायन यौगिक हो अथवा उक्त विस्फोटकों (श्रेणी 3 भाग 1) (जिसे इसमें उक्त विस्फोटक कहा गया है), के धारण, बिक्री और उसके इस्तेमाल पर समृचे देश में 1-4-2004 से मनाही की है;

और जबिक, उक्त विस्फोटकों का काफी बड़ा भंडार बिक्री करने अथवा इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंसधारियों के पास अब भी पड़ा है और उक्त विस्फोटकों के वर्तमान भंडारण को निपटाने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है;

और जबकि, केन्द्र सरकार का यह मत है कि सुरक्षा की चिंताओं और लोक सुरक्षा के लिए समूचे देश में विभिन्न लाइसेंसधारियों के पास पड़े उक्त विस्फोटकों के वर्तमान भंडार का, उचित समय के अंदर, निपटान करना वांछनीय है क्योंकि ज्यादा समय हो जाने पर ये खराब हो सकते हैं तथा और अधिक खतरनाक हो सकते हैं;

अब इसितए, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 1 अप्रैल, 2004 को यथा विद्यमान उक्त विस्फोटकों के भंडार का निपटान करने के लिए उक्त अधिसूचना के अंतर्गत निर्दिष्ट समय सीमा को 1 दिसम्बर, 2004 तक के लिए बढ़ाती है और इस प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :--

'उक्त अधिसूचना में ''1 अप्रैल, 2004'' शब्द व अंकों के स्थान पर ''1 दिसम्बर, 2004'' शब्द व अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।'

> [फा. सं. 17(3)/2000-विस्फोटक]. उमेश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY सा० वि० एकक (Department of Industrial Policy and Promotion) **NOTIFICATION** 

New Delhi, the 20th August, 2004

G.S.R. 530(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion), vide number Q.S.R. 59(E) dated the 21st January, 2004 (herein referred to as the said notification), the Central Government prohibited the possession, sale and use of nitro-glycerine or such other substance whether a single chemical compound or a mixture of the said explosives (explosive of Class 3 Division 1) (herein referred to as the said explosive) throughout the country with effect from the 1st day of April, 2004;

And whereas, sizeable stocks of the said explosives are still lying with the licence holders under their possession either for sale or use and that additional time is necessary for the disposal of the existing stock of the said explosives;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient for the security concerns and the public safety to dispose of the existing stock of the said explosives which are lying with various licence holders across the country as this may deteriorate over time and may become further dangerous, within a reasonable time;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 6 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby extends the time-limit specified under the said notification till the 1st day of December, 2004 for disposing of the stock of the said explosives existing as on 1st day of April, 2004 and for that purpose makes the following amendment in the said notification namely :-

'In the said notification, for the words, letters and figures "the 1st day of April, 2004" the words, letters and figures "the 1st day of December, 2004" shall be substituted."

> [F. No.17(3)/2000-Expl.] UMESH KUMAR, Jt. Secy.

2566 GI/2004